संक्षिप्त

एबीवीपी की कार्यकारणी घोषित

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर की मधुकर नगर इकाई एवं दयानंद नगर इकाई का एक दिवसीय नगर अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। सरस्वती माता और स्वामी विवेकानंद के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर पदाधिकारियों का परिचय करवाया गया। प्रथम सत्र में महानगर मंत्री विकास गोरा ने संगठन परिचय दिया और कार्यकर्ताओ को एबीवीपी के गौरवमय इतिहास का वर्णन किया। द्वितीय सत्र में महानगर विस्तारक प्रतिक ने आचार विचार एवं कार्यपद्धति की जानकारी देते हुए बताया की वर्ष भर में एबीवीपी छात्रों हितों को सर्वोपरि रखते हुए समाज के बीच कार्य करती है। महानगर मंत्री गोरा ने मधुकर नगर के लिए लक्ष्यराज सैनी और दयानंद नगर के लिए विकास सिवासिया की सर्वसहमति से घोषणा की।घोषणा सत्र में नवीन दायित्वों की घोषणा करते हुए मधुकर नगर के लिए जीसीए इकाई अध्यक्ष आकाश सिंह राजावत, मोनू सिंह ,उमेश टांक अन्य कार्यकर्ताओ ने नवीन दायित्ववान कार्यकर्ताओ का अभिनंदन किया।

हादसे में महिला व वृद्ध की मौत

भीलवाड़ा। शहर के सदर थाना इलाके से गुजर रहे भीलवाड़ा हलेड मार्ग पर एक तेज रफ्तार बजरी भरे ट्रैक्टर ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला और वृद्ध की मौत हो गई, आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर कई घंटों प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार रोड पर एक तेज रफ्तार अवैध बजरी भरा ट्रेक्टर सड़क पर सरपट दौड़ रहा था उसने ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्र में आ रहे एक सवारियों से भरे ऑटो को हलेड रोड के निकट टक्कर मार दी, हादसा इतना भीषण था की एक वृद्ध रामेश्वर जाट और हलेड की रहने वाली सुगना पत्नी कैलाश सुवालका की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गयी आक्रोशित भीड़ ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मृतक परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। समझाइश के बाद पुलिस ने मामला शांत करवाया।

शैक्षिक सम्मेलन केकड़ी में

सरवाड़, (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 60वां प्रदेश महाअधिवेशन केकड़ी में 25-26 नवंबर को होने जा रहा है सम्मेलन में प्रदेश के हजारों शिक्षक भाग लेंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व चिकित्सामंत्री और गुजरात प्रभारी रघु शर्मा रहेंगे व अध्यक्षता केसर लाल चौधरी करेंगे सम्मेलन में अधिक से अधिक शिक्षको को भाग लेने की अपील की वही सम्मेलन केकड़ी के नगरपालिका रंगमंच पर आयोजित होगा यह जानकारी शिव प्रकाश शर्मा ने दी उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में अधिक से अधिक शिक्षक भाग लेंगे। इस अवसर पर अब्दुल मजीद आसाम, राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र यादव,अब्दुल रज्जाक, अब्दुल सलाम हरसोरी, आदित्य दाधीच, महबूब अली, सुभाष जांगिड़, गोपाल चौधरी, रामअवतार साहू ,रोशन अली, लालचंद रतावल, अब्दुल वहाब ने विद्यालयों में पहुंचकर सम्मेलन का न्यौता दिया।

सड़क हादसे में एक युवक की मौत

मसूदा, (निसं)। मसूदा थानांतर्गत ग्राम कुशलपुरा निवासी दिनेश सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 21 वर्ष की ट्रेक्टर की टक्कर से मौत हो गई वही दूसरा युवक जयसिंह घायल हो गया ।दोनो युवकों को मसुदा चिकित्सालय लाया गया।जहा डॉक्टर ने दिनेश सिंह को मृत घोषित कर दिया व जय सिंह का प्राथमिक उपचार किया गया ।जयसिंह की हालत गम्भीर होने के कारण डॉक्टर द्वारा रेफर किया गया । घटना की जानकारी मसूदा पुलिस को दी गई मसुदा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शव को मसूदा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखाया जहा मृतक दिनेश का गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौप दिया।

सीरियल से आया था पत्नी की हत्या का विचार

अजमेर, (कास)। शादी करीब के 25 -26 दिन बाद पत्नी की हत्या बुधवार को की गई हत्या के मामले में गुरूवार को नया मामला सामने आया है, आरोपी पति मुकेश ने हत्या से पहले क्राइम पेट्रोल सीरियल देखा था।

सीरियल से उसे हत्या करने की तरकीब मन में आई, उसने पत्नी की चाकू से गला रेत दिया ओर सांसे निकलने तक पेट पर चाकू से लगातार वार करता रहा। मृतका जेनिफर की मां ने पुलिस से आरोपी को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है। डीएसपी छवी शर्मा ने बताया कि आरोपी मुकेश सिंधी ने बुधवार सुबह रसोई में नाश्ते के लिए पोहा और दूध गर्म कर रहा था। इस दरम्यान उसका जेनिफर से दहेज को लेकर झगड़ा हो गया। पति ने पूछताछ में बताया कि शादी में 4 लाख रुपए खर्च हुए थे। इनमें से वह 2 लाख रुपए किसी से उधार लेकर आया था।

नाश्ता बनाने के दौरान पत्नी से इन्हीं रुपए को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। वह चाह रहा था कि ये 2 लाख रुपए जेनिफर उसे दे। इसके लिए उसने पीहर से रुपए मंगवाने की बात कही। इस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति मुकेश कुमार ने चाकू से गला काट डाला। इस दौरान जेनिफर की चीख निकल पड़ी। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

डीएसपी के अनुसार मुकेश ने पूछताछ में बताया कि वह टीवी पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देखता था। इसी से उसे लाश ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने की तरकीब उसके दिमाग में आई। इसी तरकीब के जरिए उसने पूरे घर में पोंछा लगाया और शव को पुष्कर की पहाड़ियों में फेंका ताकि वह पकड़ा नहीं जाए। आरोपी मुकेश ने हत्या करने के बाद अपनी बुजुर्ग मां को भी कॉल कर बताया था कि उसने पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी। जिस पर उसकी मां ने उसे कहा था कि वह पुलिस के पास चला जाए। इस दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट के पास से उसे पकड़ लिया था।

एफएसएल टीम ने जुटाए सबूत :- बुधवार देर रात अंधेरा होने के चलते पुलिस ने घटनास्थल को सीज कर दिया था। गुरुवार सुबह डीएसपी छवी शर्मा, थाना प्रभारी अरविंद चारण मुकेश को लेकर द्वारका नगर स्थित उसके घर पहुंचे। जहां उससे घटना की जानकारी ली गई। इसके साथ ही मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि इस पूरे घटनाक्रम को आरोपी ने करीब 2 घंटे में ही अंजाम दिया था। पुलिस की ओर से घटनास्थल से वारदात में उपयोग में लिए गए चाकू बरामद कर लिए है। इसके साथ ही वारदात में उपयोग में ली गई स्कूटी और सबूत मिटाने के लिए की गई सफाई के उपयोग में लिए गए कपड़े भी बरामद कर लिए है।

गौरतलब है कि बुधवार को द्वारका नगर गली नंबर-4 चौरसियावास निवासी 36 साल के कपड़ा कारोबारी मुकेश कुमार केशवानी ने अपनी 32 साल की पत्नी जेनिफर की घर में गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी पति ने पत्नी के शव को बोरे में डाला और उसे स्कूटी पर ले गया और पुष्कर की पहाड़ियों में फेंक दिया। पड़ोसियों ने उसे पत्नी की बॉडी को ले जाते हुए देख लिया था। पड़ोसियों ने क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जेनिफर के परिवार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था। हत्या के एक दिन पहले 22 नवंबर को मुकेश और जेनिफर घूमने के लिए पुष्कर भी गए थे। इसके अगले ही दिन मुकेश ने पत्नी की हत्या कर दी।

मेडिकल बोर्ड से करवाया पोस्टमॉर्टम :- गुरुवार को क्रिश्चियन गंज थाना पुलिस की ओर से जेएलएन हॉस्पिटल की मोर्च्यूरी में जेनिफर के परिजनों को बुलाया गया। पुलिस की ओर से मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमॉर्टम के बाद बाद शव को मां और उसके छोटा भाई को सौंप दिया।

3 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियाँ जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के म्यूजिक, संस्कृत (ग्रुप-ए), ड्राइंग (ग्रुप-सी) विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियाँ वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग द्वारा 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 26 नवंबर से 28 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।

आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। इस परीक्षा के मॉडल प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें । वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं, तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण

बिजयनगर, (निसं)। जिला कलेक्टर अन्शदीप ने पुराने बस स्टैंड स्थित आश्रय स्थल एवं इंदिरा रसोई योजना का औचक निरीक्षण किया उपखंड अधिकारी संजू मीणा तहसीलदार सत्यवीर सिंह यादव अधिशासी अधिकारी विकास कुमावत से जिला कलेक्टर अंशदीप ने आश्रय स्थल एवं इंदिरा रसोई योजना के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आश्रय स्थल संचालक मुकेश सेन से आश्रय स्थल मे ठहरने वालेलोगों के संदर्भ में जानकारी ली।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि घीसी बानू पत्नी श्री अब्दुल जब्बार शाह निवासी तारों का खेड़ा बिजयनगर के खसरा संख्या 3950 में विद्यमान भूखंड प्राइवेट मानचित्र के अनुसार जरिए इकरार बेचाननामा खरीद किया था। उक्त भूखंड घीसी बानू का खरीदशुदा है जो कि दिनांक 3/7/2002 से पूर्व के निष्पादित मूल इकरारनामा रास्ते में गिर जाने से गुम हो गए हैं जिसकी काफी तलाश के जाने पर भी नहीं मिले। मूल दस्तावेज़ चेन से खातेदार उसका मूल इकरारनामा गुम हो गया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करवा रखी है जिसकी ईमित्र रसीद संख्या 22491275185/दिनांक 24/11/2022 है। यह कि उक्त भूखंड का पट्टा हेतु मुझ द्वारा आम सूचना प्रकाशन कर्ता के नाम से नगरपालिका बिजय नगर में आवेदन कर रखा है। जिस किसी को भी आपत्ति हो वह सात दिवस के भीतर समय अवधि में नगर पालिका बिजयनगर में आपत्ति दर्ज करवा सकता है बाद मियांद गुजरने पर उक्त खसरे में विद्यमान भूखंड संख्या 59 का पट्टा नियम अनुसार नगर पालिका बिजयनगर द्वारा मेरे नाम पर जारी कर सकती है। भवदीय

मिट्ठू लाल पुत्र मूलाराम हरिजन ग्राम लोडियाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लादूराम पुत्र श्री हीरा वेद नाई के द्वारा ग्राम चौसला गोपाल बाड़ी खसरा नंबर 3980, 3981, 3982 में विद्यमान भूखंड संख्या 59 प्राइवेट मानचित्र के अनुसार जरिए इकरार बेचान नामा खरीद किया था। उक्त भूखंड लादूराम वल्द हीरालाल का खरीदशुदा है जोकि दिनांक 18/7/1996 से पूर्व के निष्पादित मूल इकरारनामा के दस्तावेज कहीं गिर जाने से गुम हो गए जिसकी काफी तलाश करने पर भी नहीं मिले हैं। मूल दस्तावेज़ चेन से खातेदार उसका मूल इकरारनामा गुम हो गया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करवा रखी है जिसकी एलआर नंबर 1516215/2022 दिनांक 23/7/2022 है। यह कि उक्त भूखंड का पट्टा हेतु मुझ द्वारा आम सूचना प्रकाशन कर्ता के नाम से नगरपालिका बिजय नगर में आवेदन कर रखा है। जिस किसी को भी आपत्ति हो वह सात दिवस के भीतर समय अवधि में नगर पालिका बिजयनगर में आपत्ति दर्ज करवा सकता है बाद मियाद गुजरने पर उक्त खसरे में विद्यमान भूखंड संख्या 59 का पट्टा नियम अनुसार नगर पालिका बिजयनगर द्वारा मेरे नाम पर जारी कर सकती है। भवदीय

मुन्नी पत्नी चुन्नी लाल बेरवा निवासी तारों का खेड़ा बिजयनगर जिला अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ./22-23/एम.बी.1896 दिनांक: 24-11-22

आपत्ति सूचना

श्री प्रवीण कुमार यादव पुत्र स्व. श्री विजय कुमार यादव निवासी 241 मेन रोड रिलायंस फ्रेश के पास वैशाली नगर अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड संख्या 241-ए, 241-बी 242 अंकित है जिस पर ए.एम.सी नं. 124/1 अंकित है जो वार्के आनासागर सरक्यूलर रोड, थोक तेलियान अजमेर अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 487.73 व.मी. है भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व - भूखण्ड संख्या 243 पश्चिम - इसी सम्पत्ति का शेष भाग

उत्तर - इसी सम्पत्ति का शेष भाग व बाद योजना के अन्य भूखण्ड दक्षिण - रास्ता आम सड़क आनासागर सरक्यूलर रोड

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्थ को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ./22-23/एम.बी.1897 दिनांक: 24-11-22

आपत्ति सूचना

श्री प्रवीण कुमार यादव पुत्र स्व. श्री विजय कुमार यादव निवासी 241 मेन रोड रिलायंस फ्रेश के पास वैशाली नगर अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड संख्या 241-ए, 241-बी 242 अंकित है जिस पर ए.एम.सी नं. 124/1 अंकित है जो वार्के आनासागर सरक्यूलर रोड, थोक तेलियान अजमेर अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1114.82 व.मी. है भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व - इसी सम्पत्ति का शेष भाग पश्चिम - भूखण्ड संख्या 240

उत्तर - यू.आई.टी. योजना के अन्य भूखण्ड दक्षिण - रास्ता आम सड़क आनासागर सरक्यूलर रोड

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि किसी भी व्यक्ति/संस्थ को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : न.नि.अ./22-23/एम.बी/1652 दिनांक : 20.10.2022

आपत्ति सूचना

श्री आसन पारप्यानी पुत्र श्री देवजीमल पारप्यानी, श्री जितेन्द्र पारप्यानी पुत्र श्री देवजीमल पारप्यानी, श्री देवजीमल पारप्यानी पुत्र स्व. श्री सूरतमल पारप्यानी, निवासीगण 925/28, मयानी अस्पताल के पास, आशागंज, अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड ए.एम.सी. नं. 15/118 = 626/23 = 400/30 का भाग है जो वार्के ब्ल्यू केसल, पड़ाव, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 55.88 व.मी. है, भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

पूर्व में :- रास्ता पश्चिम में :- इसी ए.एम.सी. नं. का भाग

उत्तर में :- इसी ए.एम.सी. नं. का भाग है दक्षिण :- इसी ए.एम.सी. नं. का भाग

अत: जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नियमन/22-23/10974 दिनांक: 07/03/2022

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है श्री दामोदर साहू पुत्र श्री बाबूलाल साहू एवं श्रीमति तनूजा साहू पनि श्री दामोदर साहू निवासी सन्दड़ा रोड ब्यावर ने नगर परिषद, ब्यावर की सीमा में आबादी मौहल्ला सेन्दड़ा रोड, प्यरीलाल बगीची मार्ग ब्यावर पर स्थित म.नं. 19 में से दक्षिणी हिस्सा क्षेत्रफल 272.00 वर्गगज भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन चाहा है। अत: इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर-भीतर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद नियाद आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

सीमायें (साईट प्लान के अनुसार)

पूर्व- कॉलेज सनातन धर्म महाविद्यालय की भूमि पश्चिम - आम सड़क सेन्दड़ा रोड

उत्तर - भूमि का रेस्ट पार्ट दक्षिण - अन्य का मकान

आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

सूचना

स्टेट लेवल एन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी जयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक F1(4)SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.B2(20412)/2021-22 Jaipur दिनांक 22/11/2022 द्वारा **मैसर्स एलिट निर्माण इण्डिया,** पता-003 साईनाथ अप्स, विंग ए भंडारवाला, मलाल-वेस्ट,भुजाल तालाब के सामने, पीसी मार्ग, मुम्बई सीटी (महाराष्ट्र) के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा प्लॉट सं. 166/2021 क्षैत्रफल 1.0327 हैक्टर निकट ग्राम हाथीसर, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के पक्ष में पर्यावरण कलीरियेन्स जारी कि गई है। पर्यावरण कलीरियेन्स की प्रति राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल (राज.) (SEIAA) राजस्थान जयपुर व सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध है तथा इसे राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाईट www.rpcb.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल: अजमेर

क्रमांक: 1965 जाहिर आम सूचना दिनांक: 22/11/22

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 3/3-H नाका मदार अजमेर योजना में श्री राजकुमार पुत्र स्व. श्री चेलाराम को आवंटित कर दिनांक 22.06.1990 को मकान का भौतिक कब्जा सौंपा गया था। श्री राजकुमार पुत्र स्व. श्री चेलाराम ने कब्जा लेने के पश्चात् आवास का बेचान जरिए इकरारनामा, मुख्तायरनामा, वसीयतनामा के श्रीमती सुमित्रा सिंघल पत्नी श्री दीवान चन्द सिंघल को कर दिया गया था। इसके पश्चात् मण्डल द्वारा श्रीमती सुमित्रा सिंघल पत्नी श्री दीवान चन्द सिंघल के पक्ष में दिनांक 30.06.2010 को नियमितिकरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती सुमित्रा अग्रवाल की मृत्यु दिनांक-21.12.2021 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री अनिल सिंघल पुत्र स्व. श्री दिवान चन्द अग्रवाल द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अब श्री अनिल सिंघल पुत्र स्व. श्री दिवान चन्द अग्रवाल ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वंय के नाम हस्तांतरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। श्री अनिल सिंघल पुत्र स्व. श्री दिवान चन्द अग्रवाल का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है। अत: उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदारी/आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत कंवलियास, पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक- ग्राप.कवं/2022/76 दिनांक - 22/11/2022

निविदा सूचना 2022-23

ग्राम पंचायत कंवलियास की ओर से विभिन्न कार्यों हेतु ग्राम पंचायत की SFC/FFC के उपयुक्त श्रेणी में विभिन्न राजकीय एवं मान्यता प्राप्त पंजिकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित विकास कार्यों की मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धी सभी शर्तें कार्यालय समय में ग्राम पंचायत में देखी जा सकती है।

UBN NO. ZBL2223WSOB01390

NIB NO. ZBL2223AO624

सरपंच ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत कंवलियास ग्राम पंचायत कंवलियास

पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

खरीदशुदा जमीन पर बदनियती से कब्जा करने का मामला दर्ज

केकड़ी, (निसं)। शहर में इन दिनो कुछ ऐसे लोगो का गिरोह सक्रिय है जो लोगो की खरीदशुदा जमीन को दोबारा खरीद कर उस पर बदनियती से कब्जा करने की कोशिश करते है। सिटी पुलिस थाने में इसी तरह का एक मामला दर्ज हुआ है।

पलिस के अनुसार इस संबंध में केकड़ी निवासी प्रज्जवल टांक ने सरसड़ी निवासी रामदेव पुत्र रामसुख गुर्जर व भैरूलाल जाट पुत्र बरदाराम जाट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में प्रज्जवल टांक ने बताया कि उसके पिता पीयूष टांक ने रामदेव पुत्र रामसुख गुर्जर निवासी सरसड़ी से खसरा नंबर 2534 में काटी गई बीएल मार्केट कॉलोनी के प्लॉट सं. 1, 2 व 3 और इनके पीछे पड़त प्लॉट क्षेत्रफल 3661 वर्ग फीट को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 6 नवंबर 2013 को खरीद कर कब्जा लिया था।

इसी कॉलोनी के प्लॉट संख्या 4 और 5 को रामदेव गुर्जर ने लालचंद माली को बेचा हुआ था। जो प्लॉट भी प्रज्जवल टांक के पिता ने जरिए रजिस्टर्ड 10 फरवरी 2014 को लालचंद माली से खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया। खरीदशुदा प्लॉट पर सुरक्षार्थ बाउंड्री वॉल बनाकर गेट की जगह छोड़ दी। उनकी संपत्ति के पड़ौस में ही भेरु लाल जाट की संपत्ति है। भेरूलाल प्रार्थी की संपत्ति खरीदकर उसकी संपति की कीमतों में वृद्धि की नियत रखता था। इसके चलते रामदेव गुर्जर व भेरू लाल जाट ने आपस में मिलकर प्रार्थी को कहा कि वह उसकी संपत्ति भेरु लाल जाट को बेच दे।

प्रार्थी ने बेचने से मना कर दिया। जिसके बाद आरोपित रामदेव गुर्जर व भेरू लाल जाट की यह जानते हुए कि खसरा नंबर 2534 कि संपूर्ण आराजियाता जिस पर जरिये रजिस्टर्ड प्लॉट है बावजूद रामदेव गुर्जर ने जमीन को भेरु लाल जाट को बेच दी। रामदेव गुर्जर व भेरू लाल जाट ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी की है। भैरुलाल जाट को भी यह जानकारी थी कि प्रार्थी के पिता के पक्ष में कॉलोनी के प्लॉट संख्या 1 से 5 व उसके पीछे स्थित प्लॉट की रजिस्ट्री है। इसके बावजूद प्रार्थी को हानि पहुंचाने की नियत से प्रार्थी को अवैध रूप से बेदखल करने की नियत से धोखाधड़ी में शामिल होते हुए संपत्ति खरीदी है। सिटी थाना पुलिस ने प्रज्वल टाक पुत्र स्व. पीयूष कुमार टाक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फैक्ट्री से कीमती कार्ड लेकर नौकर फरार

अजमेर, (कास)। आदर्श नगर थाना क्षेत्र स्थित पालरा इंडस्ट्रीज एरिया में एक नौकर फैक्ट्री में लगी कीमती कार्ड लेकर फरार हो गया। इस मामले की शिकायत मालिक द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीडित् मालिक हर्षवर्धन ने बताया कि पालरा इंडस्ट्रीज एरिया में उसकी श्रीनाथ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के नाम से फैक्ट्री है, जहां पर डिजाइनिंग और प्रिंटिंग के साथ ही पैकेजिंग का काम किया जाता है। इस फैक्ट्री में सभी काम डिजिटल रूप से किया जाता है, जिसके कारण 10 से 12 लाख रुपए के कार्ड फैक्ट्री में लगाए गए हैं। मालिक हर्षवर्धन ने फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारी गुंजन सिंह पर 8 इलेक्ट्रोनिक कार्ड चुराने का आरोप लगाते हुए जिसके संपूर्ण दस्तावेज पुलिस को दिए हैं। गुंजन सिंह बिहार दरभंगा का रहने वाला है, जो पिछले लंबे समय से फैक्ट्री में ही काम कर रहा था।

Name Change

I Nirmala Devi Samyani resi. H.No. 185/24. chand Bavri, Ved Brahmanand Marg, Ajmer (Raj.) I have changed my name from Nirmala Devi Samyani to Nirmala Samyani. so that in future I shall be known by this name only.

नाम परिवर्तन

मैं अनीता माचिवाल अपना नाम अनीता माचिवाल (ANITA MACHIWAL) से सरला खंडेलवाल (SARLA KHANDELWAL) करवा लिया है। भविष्य में मुझे सरला खंडेलवाल (SARLA KHANDELWAL) W/O AJAY MACHIWAL (अजय माचिवाल) से ही जाना व पहचाना जावे। सभी सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम सरला खंडेलवाल (SARLA KHANDELWAL) ही है अत: भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता- सरला खंडेलवाल अजय माचीवाल 479/12 गली नं. 1 न्यू गोविन्द नगर रामगंज गुर्जर छात्रावास के पास अजमेर

आवाहान प्रपत्र

न्यायालय श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र 46 /2017

श्रीमति धनवन्ती पत्नि स्व श्री सम्पत्त सिंह ज्योतियाना, आयु- 60 वर्ष, जाति- निवासी- मकान संख्या 769/29, नागबाई, पीपल का कुआ, धोलाभाटा रोड, अजमेर -प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमान मुख्य कारखाना प्रबंधक, कैरिज कारखाना, अजमेर
2. श्रीमति कल्पना पनि स्व. श्री चंचल कुमार, आयु- 30 वर्ष, निवासी- मकान संख्या 769 / 29, नागबाई, पीपल का कुआ, धोलाभाटा रोड, अजमेर
3. मास्टर मयंक ज्योतियाना नाबलिग जरिये प्राकृतिक माता एवं संरक्षिका श्रीमति कल्पना पत्नि स्व0 श्री चंचल कुमार, आयु- 30 वर्ष, निवासी- मकान संख्या 769/29, नागबाई, पीपल का कुआ, धोलाभाटा रोड, अजमेर
4. श्रीमान प्रबंधक भारतीय बीमा निगम, कार्यालय अजमेर। -अप्रार्थीगण

प्रपत्र वास्ते सूचना:-

आम सूचना

सर्व साधाराण को सूचित को जरिये इस प्रपत्र के सूचित किया जाता है, कि श्रीमति धनवन्ती पनि स्व श्री सम्पत्त सिंह ज्योतियाना, आयु 60 वर्ष, जाति, निवासी मकान संख्या 769/29, नागबाई, पीपल का कुआ, धोलाभाटा रोड, अजमेर ने इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मृतक चंचल कुमार द्वारा छोड़ी राशि जिसका विवरण अनुसूची अ में दिया गया है, जिसके बाबत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे। अत: जिस किसी व्यक्ति को उक्त मृतक चंचल कुमार की छोड़ी गई राशिया जिसका विवरण अनुसूची ''अ'' में किसी भी प्रकार अभिरूचित, कोई ऐतराज हो तो इस प्रपत्र के जरिये सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी दिनांक 01-12-2022 को प्रात: 10.00 AM पर उपस्थित होकर अपने एतराज पेश कर सकते है। और कार्यवाही मुकदमा मे भी भाग ले सकते है।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज दिनांक 29-10-202 को जारी किया गया।

आदेशानुसार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ मुंसरिम जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर

वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन

(आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) [व्यवहार प्रक्रिया संहिता के परिशिष्ट 'ख' का फार्म सं. 1]

न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय रूपनगढ़

श्री गिरधारी व अन्य वादी

बनाम

श्री रतन वगै